



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237700
CG-DL-E-29072022-237700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3350]
No. 3350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का. आ. 3515(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार, काजू तथा उसके उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन के संबंध में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की प्रथम अनुसूची में काजू तथा उसके उत्पादों को शामिल करना आवश्यक और समीचीन मानती है ;

अतः अब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है, अर्थात् ;

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम सं. 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी अर्थात् ;

“ 16. काजू तथा उसके उत्पाद”

[फा. सं. 6/12/2021-ईपी (एग्री. IV)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 183 (अ) दिनांक 16 फरवरी, 1988, का. आ. 739(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, का. आ. 183(अ), दिनांक 05 मार्च, 1992, का.आ. 748 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2008 तथा का. आ. 2100 (अ) दिनांक 5 मई 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2022

S. O. 3515(E).—Whereas the Central Government, having regard to the development and promotion of export of cashew nuts and its products, considers it necessary and expedient to add ‘cashew nuts and its products’ to the First Schedule to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the First Schedule to the said Act; namely: -

In the first Schedule to the said Act, after serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely: -

“16. Cashew nuts and its products.”.

[F. No. 6/12/2021-EP (Agri. IV)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The First Schedule to the Act was amended by Notification numbers S.O. 183(E), dated the 16th February, 1988, S.O. 739(E), dated the 30th October, 1991, S.O. 183(E), dated 05th March, 1992 and S.O. 748(E), dated the 28th March, 2008 and S.O. 2100(E) dated 5th May, 2022.